## कराऊन प्रौसिक्यूटर्स के लिए आचार-संहिता

कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस इंग्लैंड और वेल्स में एक मुख्य सार्वजनिक सज़ा देने वाली औथौरिटी है और जिसके अध्यक्ष डायरैक्टर आव पब्लिक प्रौसिक्यूशंस हैं। इस सेवा के लिए अटौर्नी जनरल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

द कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस 42 क्षेत्रों का एक राष्ट्रीय संगठन है। हर क्षेत्र एक चीफ़ कराऊन प्रासिक्यूटर की अध्यक्षता में होता है और यह एक पुलिस फ़ोर्स के लिए है, जिसमें एक लंदन के लिए है। इसको 1986 में स्थापित किया गया था जिससे पुलिस द्वारा जाँच किए जा रहे मुकद्दमोंं पर सज़ा दी जाए।

हालांकि कराऊन प्रासिक्यूशन सर्विस पुलिस के साथ समीप से काम करती है, वह उनसे आज़ाद हैं। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स की आज़ादी मूल रूप से संविधानिक महत्त्व रखते हैं। केसवर्क के निर्णय निष्पक्ष और अखण्डता से ले लिए जाते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति, गवाहों, बचाव पक्ष के लोगों और पब्लिका के लोगों के लिए न्याय प्रदान करते हैं।

द कराऊन प्रासिक्यूशन सर्विस दूसरे कानूनी क्षेत्र से जाँच करने वाली और सज़ा देने वाली एजंसियों के साथ सहयोग करता है।

द डायरैक्टर आव पब्लिक प्रासिक्यूशंस कराऊन प्रौसिक्यूटर्स के लिए आचरण संहिता को प्रौसिक्यूशन आव अफ़ैन्सेस ऐक्ट 1985 के सैक्शन 10 के अधीन जारी करता है, जिसमें वह सज़ा देने के परिणामों के बनाने में वह इस आचरण संहिता को लागू करने के लिए आम मार्गदर्शनों को प्रदान करता है। यह आचरण संहिता का पॉचवॉ संकलन है और पहले के सभी संकलनों के स्थान पर है। इस आचरण संहिता के उद्देश्य के लिए, 'कराऊन प्रौसिक्यूटर' में कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस के सदस्य शामिल हैं जो डायरैक्टर आव पब्लिक प्रौसिक्यूशंस के द्वारा ऐक्ट की धारा 7A के अधीन तैयार किए जाते हैं और वह इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

© कराऊन कॉपीराईट 2004
इस आचरण संहित के दोबरा प्रस्तुत करने के लिए निवेदन
पत्रों को कराऊन पौसिक्यूशन सर्विस को देनी चाहियें

### 1 परिचय

**1.1** किसी व्यक्ति को सज़ा देने का निर्णय करना एक मुश्किल बात होती है। निष्पक्ष और प्रभाशाली ढंग से प्रौसिक्यूशन कानून को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। एक छोटे मुकद्दमों में भी प्रौसिक्यूशन के पास शामिल लोगों – जैसे कि पीड़ित व्यक्ति, गवाह और बचाव पक्ष के लिए काफ़ी जटिलताएँ होती हैं। कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस कराऊन प्रौसिक्यूटर्स के लिए आचरण संहिता लागू करता है ताकि वह सज़ा के बारे में उचित निर्णय दे सके।

**1.2** यह आचरण संहिता कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस को न्याय को सुनिश्चित रूप से प्रदान करने की भूमिका अदा करने में सहायता करती है। इसमें वह जानकारी शामिल है जो पुलिस आफ़िसर्स और जो लोग आपराधिक न्याय की प्रणाली से जुड़े हैं और आम लोगों के लिए है। पुलिस आफ़िर्स को इस आचरण संहिता के प्रावधानों को लागू करना चाहिए जब वह इस बात का निर्णय करते हैं कि व्यक्ति को अपराध के लिए आरोपी ठहराया जाए या नहीं।

**1.3** यह आचरण संहिता इस बात के लिए तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को उन सिद्धान्तों का पता हो जो कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस काम को करने में लागू करता है। एक ही सिद्धान्तों को लागू करने से, जो कोई भी प्रणाली में शामिल होते हैं वह पीड़ित व्यक्तियों, गवाहों और बचाव पक्ष के लोगों को निष्पक्षता से पेश आने में सहायता करता है जब प्रभावकारी ढंग से मुकद्दमों को सज़ा के लिए तैयार किया जा रहा हो।

### 2 आम सिद्धान्त

**2.1** हर मुकद्दमें अनोखे हैं और इनको इनकी ही वास्तविकताओं और महत्त्वता पर इनका विचार किया जाना चाहिए। फिर भी, आम सिद्धान्त हैं जो उस तरीके पर लागू होते हैं जिसमें कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को हर मुकद्दमें में पहुँचना चाहिए।

**2.2** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को निष्पक्ष, स्वतंत्र और लक्ष्य आधारित होना चाहिए। उन्हें आरोपी, पीड़ित व्यक्ति या गवाह की जाति या राष्ट्रीयता के मूल, अयोग्यता, लिंग, आर्मिक मान्यताओं, राजनैतिक विचारधाराओं या लैंगिक विचारधारा के बारे में अपने निजी विचारों को उनका निर्णय प्रेरित नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी स्रोत से अनुचित या विना कारण के दबाव का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

**2.3** यह कराऊन प्रौसिक्यूशन का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सही व्यक्ति को सही अपराध के ही लिए सज़ा दी जानी चाहिए। ऐसा करने पर, कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को हमेशा न्याय के हित्त में काम करना चाहिए और न केवल सज़ा को देने के उद्देश्य से।

**2.4** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को मार्गदर्शन और सलाह को निरीक्षकों को जाँच और सज़ा देने की प्रक्रिया के दौरान प्रदान करना चाहिए। इसमें पूछ-पड़ताल, सबूत की आवश्यकताएँ और सहायता किसी भी पहले के चार्ज की गई पद्धतियाँ शामिल हैं। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स पहचान करने में

काफ़ी स्तर्क होंगे और, जहाँ पर सम्भव होगा, सबूत में कमियों को पूरा करेंगे और उन मुकद्दमों पर जल्द निर्णय लिया जाए जो आगामी जाँच से मज़बूत नहीं हो पाएँगे  किया जाए।

**2.5** यह कराऊन प्रौसिक्यूशन का काम है कि वह मुकद्दमों पर पुनर्विचार, सलाह और मुकद्दमों पर सज़ा दे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून को अच्छी तरह से लागू किया गया है, कि सभी उचित सबूतों को अदालत में पेश किया गया है और सार्वजनिक खुलासा करने के लिए कर्तव्यों को, इस आचरण संहिता में दिए गए स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार लागू किया गया है।

**2.6** द कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस मानव अधिकार ऐक्ट 1998 के लिए एक सार्वजनिक औथौरिटी है। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को ऐक्ट के अनुसार यूरोपियन कन्वैन्शन औन हयूमन राईट्स के सिद्धान्तों को लागू किया जाना चाहिए।

## 3. सज़ा देने का निर्णय

**3.1** कई हालतों में, कराऊन प्रौसिक्यूटर्स की यह ज़िम्मेवारी होती है कि वह इस बात पर निर्णय ले कि क्या किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाए या हाँ, तो वह अपराध क्या होना चाहिए। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स इन निर्णयों को इस आचरण-संहिता और आरोप लगाने के डायरैक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार लेता है। उन हालतों में जहाँ पर पुलिस को किसी आरोप को तय करना चाहिए, जो आमतौर पर काफ़ी छोटे और रोज़ाना के मुकद्दमें होतो हैं, वह उन पर वही प्रावधान लागू होते हैं।

**3.2** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स आरोप लगाने के निर्णय को पूरे कोड टैस्ट (नीचे भाग 5 को देखिए), उनके अतिरिक्त जिन पर थ्रैशहोल्ड टैस्ट लागू होता है (नीचे भाग 6 को देखें).

**3.3** द थ्रैशहोल्ड टैस्ट वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर मुकद्दमा ऐसा हो जहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति को आरोप के बाद हिरासत में रखे जाने का प्रस्ताव किया जाए, परन्तु पूरे कोड के टैस्ट को लागू करने के ज़रूरी सबूत अभी उपलब्ध नहीं है।

**3.4** जहाँ पर कराऊन प्रौसिक्यूटर थ्रैशहोल्ड टैस्ट के अनुसार एक आरोप के लिए निर्णय करता है, मुकद्दमे को जाँच की प्रगति को विचार में रखते हुए जितना शीघ्र हो सके पूरे कोड के टैस्ट के अनुसार पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

## 4. पुनर्विचार

**4.1** हर केस जो कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस पुलिस से प्राप्त करती है उस पर पुनर्विचार किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकद्दमे के लिए जाना सही है। जब तक कि थ्रैशहोल्ड टैस्ट लागू नहीं होता है, द कराऊन प्राशिक्यूशन सर्विस शुरू या सज़ा के लिए जारी रहेगी जब कि केस ने पूरे कोट टैस्ट की दोनों स्टेजों को पास नहीं कर लिया हो।

**4.2** पुनर्विचार एक निरंतर प्रीक्रया है और कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को किसी भी बदलाव के बारे में विचार करना चाहिए। जहाँ कहीं भी सम्भव हो, इन्हें पहले पुलिस के साथ बात करनी चाहिए यदि वह चार्जेज़ या मुकद्दमें को रोकना चाहते हैं। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि यदि वह यह मानते हैं कि अतिरिक्त सबूत से उनके केस में शक्ति आती है। इससे पुलिस को उस जानकारी को दे सकते हैं जिससे उनके निर्णय पर अन्तर पड़ेगा।

**4.3** द कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस और पुलिस नज़दीकी से काम करते हैं, परन्तु निर्णय लेने के लिए अन्तिम जिम्मेवारी कि क्या आरोप लगाया जाए या कि कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस इस मुकद्दमे से निपटे।

## 5 पूरा कोड का टैस्ट

**5.1** पूरे कोड के टैस्ट के पास दो पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव सबूत पर विचार करने का है। यदि मुकद्दमा सबूत के पड़ाव पर सफल नहीं होता है तो चाहे मुकद्दमा कितना भी महत्त्वपूर्ण या गम्भीर क्यों न हो उस पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। यदि मुकद्दमा सबूत के पड़ाव को पास कर जाता है, तो कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को दूसरे पड़ाव पर चले जाना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या सार्वजनिक हित्त में सज़ा का होना ज़रूरी है। सबूत और सार्वजनिक हित्त के पड़ावों की नीचे व्याख्या की गई है।

### सबूत का पड़ाव

**5.2** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को इस बात का संतोष होना चाहिए कि पर्याप्त सबूत है कि जिससे एक 'सज़ा देने की वास्तविक सम्भावनाओं' को हर आरोप हर बचाव पक्ष के विरूद्ध प्रदान किया जाए। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि बचाव पक्ष का मुकद्दमा कुछ भी हो, और वह सज़ा के लिए मुकद्दमे पर कैसे असर डालेगा।

**5.3** सज़ा के लिए एक वास्तविक सम्भावना एक लक्ष्य का टैस्ट है। इसका मतलब है कि ज्यूरी या मजिस्ट्रेटों या जजों का बैंच अकेले ही मुकद्दमे की सुनवाई का सुनना, जो सही ढंग से कानून के अनुसार निर्देश किया गया हो, सम्भव है बजाए कि लगाए गए आरोप के लिए बचाव पक्ष के सज़ा नहीं देना। यह उन टैस्टों से एक अलग टैस्ट है जो आपराधिक अदालतें स्वयं लागू करती हैं। अदालत को उसी हालत में सज़ा देनी चाहिए यदि वह सन्तुष्ट है क्योंकि वह बचाव पक्ष के अपराध को मानने के लिए निश्चित है।

**5.4** जब इस बात पर निर्णय लिया जाए कि सज़ा को देने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, तो कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उसका प्रयोग किया जा सकता है और क्या यह भरोसेमंद है। कई ऐसे मुकद्दमें होंगे जिनमें सबूत कोई खास चिन्ता का अहसास न कराए। परन्तु ऐसे मुकद्दमें भी होंगे जिनमें सबूत इतना ठोस न लग रहा हो। कराउन प्रौसिक्यूटर्स अपने आप से यह प्रश्न पूछते हैं:

**क्या सबूत को अदालत में प्रयोग किया जा सकता है?**

**a** क्या यह हो सकता है कि सबूत को शायद अदालत द्वारा शामिल नहीं किया जाएगा? कई कानूनी नियम उपलब्ध है, जिसका मतलब हो सकता है कि जो सबूत उचित लगता है उसको मुकद्दमें पर नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, यह हो सकता है कि सबूत को शामिल नहीं किया जाए क्योंकि जिस ढंग से उसको इकट्ठा किया गया था? यदि हॉ, तो सज़ा की वास्तविक सम्भावना के लिए क्या दूसरे पर्याप्त सबूत हैं?

**क्या सबूत भरोसेमंद है?**

**b** क्या कोई ऐसा सबूत है कि जो अपराध को मानने के भरोसे को समर्थन देता है या उससे पर हटता है? क्या भरोसा दूसरे कारणों से प्रभावित होता है जैसे कि बचाव पक्ष की आयु, बुद्धिमता या समझने का स्तर?

**c** बचाव पक्ष ने क्या व्याख्या दी है? पूरे तौर पर सबूत के आधार पर क्या अदालत इसे भरोसेमंद मानेगी? क्या यह बकसूर होने के लिए व्याख्यान करता है?

**d** यदि बचाव पक्ष की पहचान पर प्रश्न लगाया गया हो, तो इस पर जो सबूत दिया गया है क्या वह पर्याप्त है?

**e** क्या गवाह की पृष्ठ-भूमि मुकद्दमे को शायद कमज़ोर बना देगी? उदाहरण के रूप में, क्या गवाह का कोई अपना हित्त है कि जिसके व्यवहार से मुकद्दमे या पहले की दी गई सज़ा पर असर पड़ेगा?

**f** क्या गवाह के सही ब्यान देने या योग्यता के सन्दर्भ में कोई चिन्ताएँ हैं? क्या सबूत या केवल बिना समर्थन की जानकारी के बारे में कोई भी चिन्ताएँ हैं? क्या कोई ऐसा अतिरिक्त सबूत है कि जिसके बारे में पुलिस को खोजने के लिए कहा जाना चाहिए जो गवाह के दिए ब्यान को समर्थन देगा या उसमें कमी करेगा?

**5.5** कराऊन प्रौसिक्यटर्स को सबूत को नज़रंदाज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उसे प्रयोग क्योंकि वह इस बात के बारे में निश्चित नहीं हैं कि इसे प्रयोग किया जा सकता है या कि यह भरोसेमंद हैं। परन्तु उन्हें इसे नज़दीक से देखना चाहिए जब वह निर्णय लें यदि सज़ा के लिए वास्तविक सम्भावनाएँ हैं।

**सार्वजनिक हित्त का पड़ाव**

**5.6** 1951 में, लार्ड शौकरौस, जो अटौर्नी जनरल था, ने सार्वजनिक हित्त के लिए एक बेहतरीन ब्यान दिया, जो अटौर्नी जनरल के द्वारा उस समय से समर्थन प्राप्त है: "इस देश में ऐसा नियम पहले कभी नहीं था – मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसा कभी न हो – कि संदिग्ध आपराधिक मामले अपने आप ही सज़ा के विषय बन जाएँ"। (हाऊस आव कामन डीबेट्स, वौल्यिम 483 कालम 681, 29 जनवरी 1951.)

**5.7** सार्वजनिक हित्त को हर मुकद्दमें में विचार करना चाहिए जहॉ पर सज़ा देने के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ हों। हालांकि किसी विशेष हालत में सज़ा के विरूद्ध सार्वजनिक हित्त का कारण हो सकते हैं, आमतोर पर सज़ा को दिया जाना चाहिए और उन तथ्यों को अदालत में विचार करने के लिए पेश करने चाहियें जब सज़ा को दिया जा रहा हो। आमतौर पर सज़ा की प्रक्रिया आरम्भ होगी बशर्ते कि सार्वजनिक हित्त के कारण उपस्थित हों जो सज़ा के विरूद्ध हों जो साफ़ तौर पर उनसे बढ़ के हों जो सज़ा देने के का पक्ष रखते हों, या मुकद्दमें की सभी हालतों में उचित होगा जिससे व्यक्ति को सज़ा देने से हटा दिया जाता है (नीचे भाग 8 को देखें).

**5.8** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को कारणों का सज़ा के लिए पक्ष और विरूद्ध देखभाल और निष्पक्ष रूप से संतुलन करना चाहिए। सार्वजनिक हित्त के कारण जो सज़ा देने के निर्णय पर असर कर सकते हैं वहआमतौर संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध की गम्भीरता या हालतों पर निर्भर करता है। कुछ कारण हो सकता है कि सज़ा देने की ज़रूरत को बढ़ाएँ परन्तु दूसरे यह सुझाव दे सकते हैं कि कोई दूसरी कार्यवाही को करना बेहतर रहेगा।

**निम्नलिखित कुछ आम सार्वजनिक हित्त के लिए कारणों की लिस्ट, दोनों पक्ष और विरोध में, काफ़ी विस्तृत नहीं हैं। जो कारण लागू होंगे वह हर मुकद्दमें की वास्तविकताओं पर निर्भर करेंगे।**

**कुछ आम सार्वजनिक हित्त के कारण जो सज़ा के दिए जाने के पक्ष में हैं।**

**5.9** अपराध जितना भी गम्भीर होता है, सार्वजनिक हित्त में उतना ही सज़ा का दिया जाना ज़रूरी हाता है। सज़ा का दिया जाना ज़रूरी होगा यदि:

**a** सज़ा के लिए चलाया गया मुकद्दमे से ज़रूरी सज़ा हो सकती है।

**b** सज़ा के लिए चलाए गए मुकद्दमे से ज़ब्ती के या कोई दूसरी बात के लिए आदेश दिया जा सकता है;

**c** अपराध के किए जाने के दौरान कोई हथियार प्रयोग किया गया था या हिंसा की धमकी दी गई थी;

**d** किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध किया गया जो सरकारी कर्मचारी हो (उदाहरण के रूप में, पुलिस या परिज़न अफ़सर, या नर्स);

**e** बचाव पक्ष का व्यक्ति अधिकारी पद पर था या विश्वसनीय व्यक्ति था;

**f** सबूत बताता है कि बचाव पक्ष का व्यक्ति कोई रिंगलीडर था या अपराध का संगठक था;

**g** यह सबूत मौजूद हो कि अपराध पूर्व नियोजित था;

**h** यह सबूत हो कि अपराध को किसी समूह के द्वारा किया गया;

**i** अपराध से पीड़ित व्यक्ति ख़तरे में था, उसको काफ़ी भय में डाला गया, या उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला हुआ, या उसने कोई हानि या गड़बड़ी को सहा है;

**j** अपराध एक बच्चे की उपस्थिति या उसके बहुत समीप किया गया;

**k** अपराध को पीड़ित व्यक्ति की जाति या राष्ट्रीयता के मूल, अयोग्यता, लिंग, धार्मिक मान्यतओं, राजनैतिक विचारधारा या लैंगिकरण की किसी भी बदसलूकी से प्रेरित नहीं था, या संदिग्ध व्यक्ति ने पीड़ित व्यक्ति के प्रति कोई टकराव का रास्ता अपनाया हो जो इन निशानियों पर आधारित हो;

**l** बचाव पक्ष या पीड़ित व्यक्ति के मध्य वास्तविक या मानसिक आयु के बीच अन्तर है, या कोई भ्रष्टाचार का विषय हो;

**m** बचाव पक्ष की पहले की सज़ाएँ या चेतावनियाँ जो वर्तमान अपराध से सम्बन्धित हों;

**n** अदालत के आदेश के अधीन बचाव पक्ष पर अपराध करने का आरोप लगाया गया;

**o** यह मानने के आधार हैं कि अपराध के होने या दोबारा होने की सम्भावनाएँ हैं, उदाहरण के रूप में, बार-बार होने के इतिहास के चलते;

**p** अपराध, हालांकि वह अपने आप में गम्भीर नहीं है, वह उस क्षेत्र में काफ़ी पैमाने पर होता है जहाँ पर यह किया गया; या

**q** सज़ा के दिए जाने से सामाजिक आत्म-विश्वास को कायम रखने में सकारात्मक असर होगा।

**सज़ा के विरूद्ध कुछ आम सार्वजनिक हित्तों के लिए कारण**

**5.10** सज़ा का दिया जाना उस हालत में ज़रूरी है यदि:

**a** अदालता आम जुर्माना लगाएगी;

**b** बचाव पक्ष के व्यक्ति को पहले ही सज़ा का विषय बना दिया है और सज़ा के लिए आगे के लिए किसी भी मुकद्दमें को किए जाने पर किसी अतिरिक्त सज़ा या आदेश के न दिए जाने की सम्भावना होती है, बशर्ते कि विशेष अपराध की प्रकृति के लिए सज़ा की ज़रूरत हो या अपराध के बारे में विचार करने के लिए बचाव पक्ष ने सहमति को वापिस ले लिया हो।

**c** वास्तविक गल्ती या गलतफ़हमी के कारण अराध किया गया (यह कारण अपराध की गम्भीरता के चलते इनमें संतुलन होना चाहिए);

**d** हानि को कम गिनती में गिना जा सकता है और यह एक अकेली घटना का परिणाम है, विशेष कर यदि यह गलतफ़हमी में किया गया हो;

**e** अपराध होने की तिथि और मुकद्दमे की तिथि में काफ़ी देर होने के कारण, बशर्ते कि:

- अपराध गम्भीर है;
- बचाव पक्ष ने आंशिक रूप से देरी की है;
- अपराध केवल हाल ही में सामने आया है; या

• अपराध की जटिलता का यह अर्थ था कि इसमें लम्बी जॉच की आवश्यकता है;

**f** सज़ा का पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर होता है, हमेशा अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए;

**g** बचाव पक्ष का व्यक्ति बज़ुर्ग है या अपराध के समय पर था या है, वह मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित है, बशर्ते कि अपराध मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित हो, बशर्ते कि अपराध गम्भीर प्रकार का है या कि इसके दोबारा से होने की सम्भावना है। द कराऊन प्रौसक्यूशन सर्विस, जहॉ पर ज़रूरी हो, होम आफ़िस के उन मार्गदर्शनों को लागू करती है जिसमें बताया गया हो कि मानसिक स्थिति में असंतुलन वाले अपराधियों से कैसे निपटा जाए। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को मानसिक या शारीरिक स्थिति से पीड़ित बचाव पक्ष के व्यक्ति को आम लोगों की सुरक्षा की ज़रूरत में संतुलन में बदल दिया जाने की ज़रूरत है;

**h** बचाव पक्ष ने हानि पहुँचाए जाने के लिए भरपूर्ति कर दी है (परन्तु बचाव पक्ष के व्यक्तियों को सज़ा को केवल इस कारण से नज़रंदाज़ नहीं करना चाहिए या इसे मोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वह हरजाना दे रहे हैं); या

**i** विवरणों को सार्वजनिक किया जा सकता हो जो जानकारी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों या राष्ट्रीय सुरक्षा के स्रोतों को हानि पहुँचाई जा सकती है।

**5.11** सार्वजनिक हित्त पर निर्णय करना केवल हर ओर कई कारणों का जमा करना नहीं है। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को यह निर्णय करना चाहिए कि हर केस की हालतों में हर कारण कितना महत्त्वपूर्ण है और पूरा मूल्यांकन करता है।

### पीड़ित व्यक्ति और सार्वजनिक हित्त के बीच में सम्बन्ध

**5.12** द कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस पीड़ित व्यक्तियों या पीड़ित व्यक्ति के परिवारों के लिए उसी तरह से काम नहीं करती है जैसे कि कोई भी सोलिसिटर्स अपने ग्राहक के लिए करता है। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स सार्वजनिक के लिए काम करता है और न केवल किसी विशेष व्यक्ति के हित्तों पर काम करते हैं। जब सार्वजनिक हित्त को ध्यान दिया जाएगा, कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को हमेशा पीड़ित व्यक्ति के लिए परिणामों को विचार में लिया जाना चाहिए यह तय करने के लिए कि क्या सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं, और पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार किया जाना चाहिए। फिर भी, निर्णय कराऊन प्रौसक्यिूटर्स पर रहता है।

**5.13** यह ज़रूरी है कि एक पीड़ित व्यक्ति को निर्णय के बारे में बता दिया जाए जिससे केस पर काफ़ी महत्त्वपूर्ण अन्तर पड़ता है जिसमें वह शमिल होते हैं। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसी भी सहमत किए की गई पद्धति का पालन करें।

### 6 प्रवाह सीमा का टैस्ट

**6.1** द थ्रैशोल्ड टैस्ट कराऊन प्रासिक्यूटर्स से चाहता है कि वह यह निर्णय लें कि क्या कम से कम उचित शक है कि संदिग्ध व्यक्ति ने अपराध किया है, और यदि है, तो क्या यह सार्वजनिक हित्त में है कि संदिग्ध व्यक्ति को आरोपी ठहराया जाए।

**6.2** द थ्रैशहोल्ड टैस्ट उन हालतों में लागू किया जाता है जहॉ पर यह उचित नहीं होगा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को आरोपी करार किए जाने के बाद ज़मानत पर रिहा किया जाए, परन्तु पूरे कोड के टैस्ट के लिए आवेदन करने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है।

**6.3** जिस समय तक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है इसके बारे में सीमाएँ नियुक्त हैं, इससे पहले कि संदिग्ध व्यक्ति पर इस बात का निर्णय लिया जाए कि उसको आरोपी करार किया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। कई केस होंगे जिनके अन्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति जो हिरासत में हो उसके ज़मानत पर छोड़े जाने पर काफ़ी ख़तरा हो, परन्तु आरोपी ठहराए जाने के निर्णय लेने के समय पर पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स ऐसे मुकद्दमों के लिए सीमित समय के लिए थ्रैशहोल्ड के टैस्ट के लिए आवेदन करेंगे।

**6.4** हर केस पर सबूत पर आधारित निर्णय के लिए कई कारणों पर विचार किए जाने की ज़रूरतें होंगी जिसमें नीचे दिए गए शामिल हैं:

- उस समय पर जो सबूत उपलब्ध थे;
- आगामी सबूत को प्राप्त किए जाने की सम्भावनाएँ और इसकी किस्म;
- इस बात का यह मान कर उचित होना कि सबूत उपलब्ध कराया जाएगा;
- उस सबूत को इकट्ठा करने के लिए जो समय लिया गया और उसके लिए जो कदम लिए गए;
- आशा किए जाने वाले सबूत पर असर जो केस पर होगा;
- जो आरोप यह सबूत समर्थन करेगा।

**6.5** सार्वजनिक हित्त का अर्थ है वैसा ही हो जैस कि पूरे कोड टैस्ट में हुआ, परन्तु आरोप लगाए जाने के समय पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित होगा जो आमतौर पर सीमिग होगी।

**6.6** एक निर्णय कि जिसके अधीन आरोपी ठहराया जाए और ज़मानत को रोका जाए इन बात को पुनर्विचार के अधीन रखा जाए। जो सबूत इकट्ठे किए गए हों उनका निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगाया गया आरोप अभी भी उचित है और ज़मानत के लिए निरंतर आपत्ति न्यायपूर्ण है। पूरा कोड टैस्ट को शीघ्र अति शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

## 7 आरोप लगाए जाने वाले चयन

**7.1** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को आरोप लगाए जाने पर विषयों का चयन करना चाहिए:

**a** गम्भीरता को दर्शाना और अपराध की तीव्रता;

**b** अदालत को पर्याप्त शक्तियों को प्रदान किया जाए कि जिससे सज़ा दी जा सके और आरोपी पाए जाने के बाद के उचित आदेशों को लागू किया जा सके; और

**c** केस को साफ़ और साधारण तरीके से पेश करने के योग्य करना।

इसका अर्थ है कि कराऊन प्रौसिक्यूटर्स गम्भीर आरोप के लिए हमेशा चयन या निरंतर जारी नहीं कर पाता है जहाँ पर चयन होती है।

**7.2** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को ज़रूरत से अधिक और आरोपी ठहराए जाने के लिए आशा नहीं करनी चाहिए जिससे केवल बचाव पक्ष को कुछ आरोपों के लिए अपराध को मानने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह से, उनको कभी भी अधिक गम्भीर सज़ा को मानना नहीं चाहिए केवल बचाव पक्ष को कम गम्भीर के अपराध को मनवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

**7.3** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को आरोप लगाए जाने को बदलना नहीं चाहिए केवल इस कारण के क्योंकि अदालत या बचाव पक्ष ने यह निर्णय किया है कि केस को कहाँ पर सुना जाए।

## 8 सज़ा दिए जाने से मुड़ना

### बालिग

**8.1** जब इस बात पर निर्णय किया जाए कि क्या केस पर अदालत में सज़ा दी जाए या नहीं, कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को सज़ा के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जहाँ पर उचित हो, वहाँ पर पुन:निवास या दोबारा से दिए जाने वाले न्याय की उपलब्धता की प्रक्रिया पर विचार किया जा सके।

**8.2** संदिग्ध बालिगों के लिए सज़ा के विकल्पों में शामिल हैं साधारण चेतावनी और एक शर्तिया चेतावनी।

### साधारण चेतावनी

**8.3** एक साधारण चेतावनी को केवल उसी हालत में दिया जाना चाहिए यदि सार्वजनिक हित्त के लिए यह ज़रूरी हो और होम आफ़िस के मार्गदर्शन के अधीन हो। जहाँ पर यह ज़रूरी समझा जा सके कि ऐसी चेतावनी ज़रूरी है, तो कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को पुलिस को जानकारी देनी चाहिए ताकि वह संदिग्ध व्यक्ति को चेतावनी देनी चाहिए। यदि चेतावनी नहीं दी गई, क्योंकि संदिग्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो एक कराऊन प्रौसिक्यूटर केस पर दोबारा से पुनर्विचार करे।

### शर्त पर आधारिक चेतावनी

**8.4** शर्त पर आधारित चेतावनी उस स्थिति में उचित होगा जहाँ पर प्रौसिक्यूटर इस बात पर विचार करेंगे कि जब तक सार्वजनिक हित्त में सज़ा देना ज़रूरी है, संदिग्ध व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति और समाज के हित्तों का ध्यान उस हालत में रखा जा सकता है जब संदिग्ध व्यक्ति को उसके पुन:निवास या देश से वापिस भेजे जाने के लिए वह उचित शर्तों को पूरा न कर ले। इनमें दोबारा से रखे जाने की प्रक्रियाएँ।

**8.5** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को इस बात पर सन्तुष्टि होनी चाहिए कि सज़ा के दिए जाने के वास्तविक प्रावधान के लिए पर्याप्त सबूत हैं और कि सार्वजनिक हित्त के लिए सज़ा का दिया जाना ज़रूरी है यदि शर्त पर चेतावनी के प्रदान किए जाने को इन्कार किया गया हो या अपराधी चेतावनी की शर्तों को न मानने में असफल हुआ हो।

**8.6** उनके निर्णय पर पहुँचने में, कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को कन्डीशनल कौशन कोड आव प्रैक्टिस और किसी भी शर्त पर आधारित पर चेतावनी जो डायरैक्टर आव पबिलक प्रौसिक्यूशंस के द्वारा जारी और अनुमोदित किया गया हो उसे मानने के आवश्यकता है।

**8.7** जहाँ पर कराऊन प्रौसिक्यूटर्स एक शर्त पर आधारित चेतावनी को उचित मानता है, वहाँ पर इसे पुलिस, या दूसरी जिम्मेवार सत्ता को बताना चाहिए जो शर्त पर आधारित चेतावनी को लागू करता है, साथ ही में उचित शर्तों के लिए संकेत को प्रदान करना चाहिए ताकि शर्त पर आधारित चेतावनी को लागू किया जा सके।

## युवक

**8.8** कराऊन प्रौसिक्यूटरों को युवकों के हित्तों को विचार में रखना चाहिए जब वह इस बात पर निर्णय लें कि क्या सज़ा का दिया जाना सार्वजनिक हित्त में है। फिर भी, कराऊन प्रौसिक्यटरों को केवल बचाव पक्ष की आयु के कारण सज़ा देने से चूकना नहीं चाहिए। अपराध की गम्भीरता या युवक का बीते समय का व्यवहार बहुत ज़रूरी है।

**8.9** जिन केसों में युवक शामिल हों उन केसों को आमतौर पर केवल कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस के लिए ही सज़ा देने के लिए हवाला दिया जाता है यदि युवक को पहले ही माफ़ किया गया हो या अन्तिम चेतावनी दे दी गई हो, बशर्ते कि अपराध इतना गम्भीर है कि इनमें से कोई भी लागू नहीं किया जा सकता है या कि युवक अपराध को किए जाने से इन्कार करता हो। माफ़ीनामा और अन्तिम चेतावनीयाँ को दोबारा अपराध न किए जाने के लिए दिया जाता है और आगे के लिए अपराध का किए जाने का अर्थ है कि युवक को अदालती प्रणाली से दूर रखने की कोशिश नकाम रही है। इसलिए सार्वजनिक हित्त ऐसे केसों में सज़ा का दिया जाना चाहेगी, बशर्ते कि सज़ा के विरूद्ध साफ़ सार्वजनिक हित्त के कारण हों।

## 9 मुकद्दमे का तरीका

**9.1** द कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस वर्तमान मार्गदर्शन मैजिस्ट्रेटों के लिए लागू करता है जिन्हें यह निर्णय लेने की ज़रूरत है कि क्या मुकद्दमों को कराऊन कोर्ट में चलाया जाए जब अपराध विकल्प देता है और बचाव पक्ष सज़ा को नहीं मानता है। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को कराऊन कोर्ट में मुकद्दमे के लिए सिफ़ारिश करनी चाहिए जब वह इस बात से सन्तुष्ट हों कि ऐसा करने के लिए मार्गदर्शनों की ज़रूरत है।

**9.2** मैजिस्ट्रेटस कोर्ट में केस को रहने देने के लिए रफ़्तार को ही केवल कारण नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को सम्भवत: किसी भी देरी के असर के बारे में विचार करना चाहिए यदि वह केस को कराऊन कोर्ट के लिए भेजा जाए, और पीड़ित व्यक्तियों और गवाहों पर किसी भी सम्भवत: तनाव के असर पर विचार किया जाना चाहिए यदि मुकद्दमें में देरी हो जाए।

## 10 अपराध को मान लिया जाना

**10.1** बचाव पक्ष कुछ आरोपों, सभी को नहीं, मान लेता है। वैकल्पिक रूप से, वह अलग, सम्भवत: कम गम्भीर आरोप को माने, क्योंकि वह केवल अपराध के अंश को ही मान रहे हैं। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को केवल बचाव पक्ष के निवेदन को ही नहीं स्वीकार करना चाहिए यदि वह समझें कि अदालत सज़ा सुनाएगी जो अपराध करने वाले द्वारा किए गए अपराध की गम्भीरता से मेल खाती हो, विशेष कर जहाँ पर गम्भीर विषय हों। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को कभी भी आरोप को माने जाने को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सुविधापूर्ण है।

**10.2** इस बात पर विचार किए जाने के लिए कि क्या जो विनय किए हैं वह स्वीकार करने योग्य है, कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के हित्तों का ध्यान रखा जाए और, जहाँ कहीं भी सम्भव हो, जो भी विचार पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, उनको विचार में लिया जाता है जब यह निर्णय लिया जाए कि क्या अभियुक्त द्वारा आरोप की स्वीकृति सार्वजनिक हित्त में है। फिर भी निर्णय कराऊन प्रौसिक्यूटरों के साथ है।

**10.3** यह अदालत को साफ़ किया जाना चाहिए कि किस आधार पर कोई भी विनय पेश किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। उन हालतों में जब बचाव पक्ष आरोपों को मान लेता है परन्तु तथ्यों के आधार पर जो सज़ा दिए जाने की हालतों से अलग हों, और जिससे सज़ा के दिए जाने पर असर हो, अदालत को सबूत को सुनने के लिए निवेदन किया जाना चाहिए जिससे यह जाना जा सके कि क्या हुआ था, और उसके आधार पर सज़ा दी जाए।

**10.4** जहाँ पर बचाव पक्ष ने जैसे कि पहले ही संकेत दिया हो कि उसने अदालत से कहा है कि सज़ा देते समय वह अपराध को विचार में ले, परन्तु उस अपराध को करने के लिए अदालत में स्वीकार नहीं करता हो, वहाँ पर प्रौसिक्यूटर्स यह निर्णय लेंगे कि क्या उस अपराध के लिए क्या सज़ा की ज़रूरत है कि नहीं। कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को बचाव पक्ष के वकील और अदालत को इस बात को बताने की ज़रूरत है कि अपराध को आगे के पुनर्विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

**10.5** विशेष देखभाल की जानी चाहिए जब विनयों पर विचार किया जाना हो जिससे बचाव पक्ष को कम से कम ज़रूरी सज़ा को लागू किए जाने को नज़रंदाज़ किया जा सके। जब विनयों को प्रदान किया जाता है, तब कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बाकि के आदेशों को कुछ अपराधों में लागू किया जा सकता है पर दूसरों के लिए नहीं।

## 11 सज़ा दिलाने में प्रौसिक्यूटर्स की भूमिका

**11.1** कराऊन प्रौसिक्यूटर्स को अदालत का ध्यान नीचे दिए पर दिलाना चाहिए:

- एक गम्भीर और ख़तरनाक कारण जो सज़ा के द्वारा बताया गया हो;
- पीड़ित व्यक्ति का निजी ब्यान;
- जहाँ कहीं भी उचित हो, समाज में रहने पर असर का सबूत;
- कोई और कानून के प्रावधान या सज़ा के मार्गदर्शन जो समर्थन दे सकें;

- कोई भी उचित कानूनी प्रावधान जो समर्थित आदेशों से सम्बन्ध रखते हों (जैसे कि असामाजिक व्यवहार के लिए आदेश).

**11.2** कराऊन प्रौसिक्यूटर को बचाव पक्ष द्वारा किए गए किसी भी ग़लत, गुमराह करने वाले या असहनीय किए गए दबाव का चुनौती देनी चाहिए। यदि बचाव पक्ष दबाव को निरंतर करता है, और ऐसा लगता है कि यह सज़ा के लिए उचित है, तो अदालत को सबूत को सुनने के लिए अमंत्रित करना चाहिए जिससे वास्तविकताओं का पता लगाया जा सके और उसके अनुरूप सज़ा दी जा सके।

**12 किसी सज़ा को दोबारा से आरम्भ करना**

**12.1** लोगों को उन निर्णयों पर भरोसा करने की आवश्यकता है जो कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस के द्वारा लिए गए हैं। आमतौर पर, यदि कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस संदिग्ध व्यक्ति या बचाव पक्ष को कहती है कि कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, या कि सज़ा को रोक लिया गया है, यह मामले का अन्त होगा और मुकद्दमे को दोबारा से आरम्भ नहीं किया जाएगा। परन्तु समय समय पर विशेष कारण होंगे जहाँ पर कराऊन प्रौसिक्यूशन सर्विस दोबारा से आरम्भ किया जाएगा, विशेष कर यदि मुकद्दमा गम्भीर हो।

**12.2** इन कारणों में नीचे दिए गए शामिल हैं:

**a** बहुत कम हालतों में जहाँ पर मूल रूप से निर्णय की एक नई तस्वीर यह दर्शाती है कि यह साफ़ तौर पर गलत है और इसके अस्तित्व की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

**b** उन मुकद्दमों को जिन्हें रोक दिया गया है ताकि समीप के भविष्य में और अधिक सबूत जो उपलब्ध हो उसे इकट्ठा किया जाए और तैयार किया जाए। इन क्षेत्रों में, द कराऊन प्रौसिक्यूटर बचाव पक्ष को बताएगा कि सज़ा फिर से आरम्भ हो; और
**c** वह मामले जिन्हें इस कारण से रोक दिया गया क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे परन्तु जिनमें आगे चल कर महत्त्वपूर्ण सबूत मिल सके।

**12.3** कई अतिरिक्त मामले भी होंगे जिनमें, किसी गम्भीर अपराध से छूटने के बाद, कराऊन प्रौसिक्यूटर, डायरैक्टर आव पब्लिक प्रौसिक्यूशन्स की लिखित सहमति से, अपील की अदालत को छूट देने के आदेश को खारिज करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकता है और यह कह सकता है कि बचाव पक्ष पर मुकद्दमा फिर से चलाया जाए, जो करिमिनल जस्टिस ऐक्ट 2003 के भाग 10 के अधीन हो।

*द कोड* एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है। यह सी पी ऐस के वेबसाईट: www.cps.gov.uk पर उपलब्ध है।

अधिक कापियाँ नीचे दिए गए पते से प्राप्त की जा सकती हैं:

Crown Prosecution Service
Communications Branch
50 Ludgate Hill
London EC4M 7EX
टैलिफ़ोन: 020 7796 8030
फ़ैक्स: 020 7796 8351
ई मेल: publicity.branch@cps.gsi.gov.uk

दूसरी भाषाओं में अनुवाद और आडियो कैसेट या ब्रेल की कापियाँ उपलब्ध हैं। कृपया सी पी ऐस कम्यूनिकेशन्स ब्राँच (ऊपर) को विवरण के लिए सम्पर्क करें।